

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 के लिए सूचीकृत/पंजीकृत विद्यार्थी का

(i) डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति की वेबसाइट (पोर्टल) पर जारी करने, (ii) उसमें परिलक्षित त्रुटि का ऑनलाईन सुधार करने, (iii) विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षरित घोषणापत्र डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड को समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने एवं (iv) पूर्व में जिन विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन भरे गए हैं एवं निर्धारित शुल्क जमा किए गए हैं, किन्तु घोषणा पत्र (Prefilled) अपलोड नहीं है, उनका Prefilled घोषणा पत्र अपलोड करने के संबंध में

एनड द्वारा इन्टरमीडिएट एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माओशे) एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि सत्र 2025-27 के लिए सूचीकृत इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 तथा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने वाले ऐसे विद्यार्थी, जिनका ऑनलाईन सूचीकरण/पंजीयन आवेदन (घोषणा पत्र सहित) निर्धारित अवधि में संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा भरा गया है, का डमी सूचीकरण (Dummy Registration Card) समिति की वेबसाइट क्रमशः - इन्टरमीडिएट के लिए <https://intermediate.biharboardonline.com> पर एवं माध्यमिक के लिए <https://biharboardonline.org> पर अपलोड कर दिया गया है, जो दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक उपलब्ध रहेगा।

2. पूर्व में जिन विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन भरे गए हैं एवं निर्धारित शुल्क जमा किए गए हैं, किन्तु घोषणा पत्र (Prefilled) अपलोड नहीं है, उनका Prefilled घोषणा पत्र अपलोड करने के संबंध में

2.1 इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के ऑनलाईन सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने के क्रम में प्रविष्ट विवरणों की परिशुद्धता के सत्यापन हेतु विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षरित घोषणा पत्र (Prefilled) विद्यालय प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना था, जिसमें यह भी निर्दिष्ट था कि पूर्व से भरा हुआ (Prefilled) घोषणा पत्र अपलोड नहीं करने पर विद्यार्थी का सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन पूर्ण रूप से Submit नहीं होगा, जिसके कारण सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन अपूर्ण रहेगा।

2.2 ऑनलाईन भरे गए सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इन्टरमीडिएट/माध्यमिक के कतिपय शिक्षण संस्थानों द्वारा कई विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन भरा गया एवं निर्धारित शुल्क भी जमा किया गया, किन्तु उनका Prefilled घोषणा पत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, ऐसे विद्यार्थियों को सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन अपूर्ण रहने के कारण डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं है।

2.3 पूर्व से जिन विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन एवं निर्धारित शुल्क जमा है, उनका Prefilled घोषणा पत्र इस अवधि (दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक) में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा। Prefilled घोषणा पत्र अपलोड होने के पश्चात् उन विद्यार्थियों का भी डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के उक्त वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड कर दिया जाएगा।

के विवरण/विवरणों में कलम से किए गये सुधार के आलोक में संस्थान के अभिलेख से मिलाने पर, समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से अपेक्षित संशोधन निर्धारित विधि के अंतर्गत अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाईन त्रुटि सुधार के पश्चात् विद्यार्थियों का मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा तथा उसी के आधार पर विद्यार्थी का ऑनलाईन परीक्षा आवेदन स्वीकार किया जाएगा एवं प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं रह जाए, इसलिए यह अत्यावश्यक है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने संस्थान में विद्यार्थियों से संबंधित संधारित संगत अभिलेखों से मिलान कर निर्धारित अवधि में त्रुटि का ऑनलाईन सुधार कराना/करना सुनिश्चित करेंगे।

6. डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों में समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन संशोधन के पश्चात् संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड पुनः डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना

विद्यार्थियों के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों में समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन संशोधन के पश्चात् शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के पोर्टल से पुनः डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संबंधित विद्यार्थियों को दो प्रतियों में प्राप्त करा जाएगा। विद्यार्थी संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों को देखकर यह आवश्यक हो लेंगे कि त्रुटि का संशोधन हो चुका है। ऑनलाईन संशोधन के उपरांत पुनः त्रुटि पाए जाने पर इसका पुनः ऑनलाईन संशोधन कराया जाएगा, और यह तब तक कराया जाएगा जब तक कि यह पूर्णतः त्रुटिरहित न हो जाए।

7. त्रुटिरहित/संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों की शुद्धता के संबंध में विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक के द्वारा अनिवार्य रूप से घोषणा-पत्र हस्ताक्षरित किया जाना तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा घोषणा-पत्र को समिति के पोर्टल पर अपलोड किया जाना :-

7.1 पूर्व में यह देखा गया है कि विद्यार्थी अथवा उनके माता/पिता/अभिभावक अथवा शिक्षण संस्थान के प्रधान के स्तर पर पर्याप्त सतर्कता नहीं करते जाने के कारण उनके सूचीकरण/पंजीयन से संबंधित एक या कतिपय विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिए जाते हैं तथा इसके संशोधन हेतु पर्याप्त अवधि तक अवसर दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा त्रुटियों का संशोधन समिति के पोर्टल के माध्यम से नहीं कराया जाता है। सूचीकरण से संबंधित विवरण त्रुटिपूर्ण रह जाने के कारण कतिपय विद्यार्थी परीक्षा आवेदन भर नहीं पाते हैं एवं परिणामतः परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जाते हैं। यह स्थिति वांछनीय नहीं है।

7.2 अब अस्मिता में यह निर्णय लिया गया है कि विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता/पिता/अभिभावक को भी डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाए तथा संस्थान प्रधान के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से उसकी शुद्धता के संबंध में घोषणा-पत्र प्राप्त कर उसे समिति के पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। अतएव प्रत्येक विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित विवरणों का अवलोकन कर निर्दिष्ट स्थल पर घोषणा-पत्र को विधि सहित अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित करेंगे। तत्पश्चात् शिक्षण संस्थान के प्रधान भी डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा-पत्र को हस्ताक्षरित करेंगे। यह अनिवार्य है। उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किए जाने से फलस्वरूप संबंधित विद्यार्थी का मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तदनुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

7.3 जिस विद्यार्थी के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं है :- शिक्षण संस्थान के प्रधान प्रत्येक वैसे विद्यार्थी जिनके समिति स्तर से निर्गत डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा-पत्र को विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा उसे स्वयं भी हस्ताक्षरित कर दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक की अवधि में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे।

7.4 जिस विद्यार्थी के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में पाई गई त्रुटि का ऑनलाईन संशोधन किया गया है :- शिक्षण संस्थान के प्रधान प्रत्येक ऐसे विद्यार्थी, जिनके त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों का समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से संशोधन किया गया है, का संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के पोर्टल से पुनः डाउनलोड कर उसे संबंधित विद्यार्थी को प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों को देखकर यह आवश्यक हो लेंगे कि त्रुटि का संशोधन हो चुका है। ऑनलाईन संशोधन के उपरांत पुनः त्रुटि पाए जाने पर इसका पुनः ऑनलाईन संशोधन कराया जाएगा, जब तक कि यह पूर्णतः त्रुटिरहित न हो जाए। जब डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड पूर्णतः त्रुटिरहित हो जाए तब उसमें मुद्रित घोषणा-पत्र को शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा उसे स्वयं भी हस्ताक्षरित कर दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर उस डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड को समिति के पोर्टल पर किसी भी हाल में अपलोड नहीं किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी द्वारा कलम से सुधार किया गया था, बल्कि विद्यार्थी के सुधारोपरांत पोर्टल पर शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाईन अंतिम रूप से किए गए संशोधन के पश्चात् डाउनलोड किए गए संशोधित सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा पत्र को विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षरोंपरांत अपलोड किया जाएगा।

8. यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि समिति के स्तर से विद्यार्थियों का जो मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निर्गत किया जाएगा वह शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से किए गए संशोधन के आधार पर ही होगा, न कि उनके द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए विद्यार्थी/माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षरित घोषणापत्र संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के आधार पर। अतएव शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थी के ऑनलाईन संशोधन के कार्य में पर्याप्त सावधानी व सतर्कता बरतेंगे।

9. माध्यमिक के लिए यह विशेष रूप उल्लेखनीय है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी को विज्ञान के स्थान पर संगीत एवं गणित के स्थान पर गृह-विज्ञान के परीक्षा में शामिल होना होता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी से तात्पर्य है कि वे ऐसे विद्यार्थी जो दोनों अंकों से देखने में सामन्य नहीं हैं। ऑनलाईन भरे गए पंजीयन के आधार पर ऐसे विद्यार्थियों के डमी पंजीयन कार्ड की कडिका-7 में निर्दिष्ट कोटि का उल्लेख है। यदि इस कोटि में त्रुटि हो, तो इतका अनिवार्य रूप से विशेष ध्यान देकर निर्धारित अवधि में संशोधन करा लेना आवश्यक है।

10. विद्यार्थी यह उनके अभिभावक व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान देकर निर्धारित विधि तक सुधार किया गये डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड का अवलोकन कर यह आवश्यक हो लेंगे कि उनके डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में त्रुटि का संशोधन शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा कर दिया गया है। ऑनलाईन त्रुटि संशोधन करने/कराने का उत्तरदायित्व शिक्षण संस्थान के प्रधान के साथ-साथ विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक का भी होगा।

11. यहाँ यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि समिति द्वारा पोर्टल (इन्टरमीडिएट के लिए <https://intermediate.biharboardonline.com> एवं माध्यमिक के लिए <https://biharboardonline.org>) पर दिनांक 25.07.2026 से अपलोड किए जा रहे डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड को शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने User ID एवं Password का उपयोग कर डाउनलोड करेंगे तथा अपने हस्ताक्षर व मुहर के साथ दो प्रतियों में संबंधित विद्यार्थी को अवलोकन हेतु उपलब्ध कराएंगे। विद्यार्थी स्वयं भी समिति की वेबसाइट (इन्टरमीडिएट के लिए <https://intermediate.biharboardonline.com> एवं माध्यमिक के लिए <https://biharboardonline.org>) से डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान के प्रधान प्रत्येक वैसे विद्यार्थी, जिनके समिति स्तर से निर्गत डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा-पत्र को विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा उसे स्वयं भी हस्ताक्षरित कर दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक की अवधि में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी का मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तदनुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

11.1 जिन विद्यार्थियों के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरण/विवरणों में त्रुटि परिलक्षित होती है, विद्यार्थी उसका सुधार कलम से करेंगे तथा इस प्रकार से सुधार किए गए डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड की दो प्रतियाँ अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास उपलब्ध कराएंगे। इन्हें से एक प्रति तत्पश्चात् उन विद्यार्थियों के प्रधान का हस्ताक्षर, मुहर एवं विधि प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। द्वितीय प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास संधारित रहेगा। सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थी के द्वारा डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरण/विवरणों में कलम से किए गये सुधार के आलोक में, संस्थान के अभिलेख से मिलानेपरांत, समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से अपेक्षित संशोधन दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक की अवधि में अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् उन विद्यार्थियों का संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के पोर्टल से पुनः डाउनलोड कर उसे संबंधित विद्यार्थी को प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों को देखकर यह आवश्यक हो लेंगे कि त्रुटि का संशोधन हो चुका है। ऑनलाईन संशोधन के उपरांत पुनः त्रुटि पाए जाने पर इसका पुनः ऑनलाईन संशोधन कराया जाएगा, जब तक कि यह पूर्णतः त्रुटिरहित न हो जाए। जब डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड पूर्णतः त्रुटिरहित हो जाए तब उसमें मुद्रित घोषणा-पत्र को शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा उसे स्वयं भी हस्ताक्षरित कर दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी का मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तदनुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर उस डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड को समिति के पोर्टल पर किसी भी हाल में अपलोड नहीं किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी द्वारा कलम से सुधार किया गया था, बल्कि विद्यार्थी के सुधारोपरांत पोर्टल पर शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाईन किए गए संशोधन के पश्चात् पुनः डाउनलोड किए गए संशोधित सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा पत्र को विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षरोंपरांत अपलोड किया जाएगा।

12. ऑनलाईन डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर इन्टरमीडिएट के लिए हेल्पलाइन नंबर-0612-2230039 अथवा E-mail ID: bseinterhelpdesk@gmail.com एवं माध्यमिक के लिए हेल्पलाइन नंबर-9430429722 अथवा bse@antiersolutions.com पर सूचित कर सम्स्था का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।